

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावा में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Rudrapur

No

Dated
22-02-19

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.50 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of IRR Div PMGSY, Rudrapur for the Construction of JAVRI TO JAIKANDI(AJAYPUR TO KAKOLA) MOTOR ROAD (3.00 Km) in Rudrapur district falls within jurisdiction of Jaikand village in Ukhimath tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.50 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl:- As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT RUDRAPRAYAG (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Mangesh Ghildiyal I.A.S deputy commissioner, Rudraprayag on dated 22-02-19 at time Rudraprayag Collector in which application claiming rights in 1.501 hect for the construction of JAVRI TO JAIKANDI(AJAYPUR TO KAKOLA) MOTOR ROAD forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Rudraprayag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Rudraprayag

Dated: 22-02-19

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee



परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित, जाबरी से जयकण्ठी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग (लम्बाई 0.00 किलोमीटर) के बनाने हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, अगस्तमुनि

उपखण्ड अगस्तमुनि परिक्षेत्र के अंतर्गत जाबरी से जयकण्ठी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग मोटर मार्ग (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल एवं गैर वन भूमि, 1.456 हे० वन पंचायत भूमि, मरू निराकरण भूमि 0.045 हे० भूमि अर्थात् कुल 1.501 हे० वन भूमि का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिनियम 2006 के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की तिथिंक 20/12/19 को सम्मान सदस्यों की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनोद कुमार जी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में सम्मान सदस्यों की कार्यवाही निम्नानुसार है।

- 1- श्री परमेश्वर जी उप जिलाधिकारी अगस्तमुनि
- 2- श्री सुखदेव सिंह सिरोही उप प्रमाणिक/सहायक जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग
- 3- श्री हर्ष कर्षन शर्मा सहायक सभाज कल्याण अधिकारी
- 4- श्री राजेंद्र सिंह नेगी सी०डी०सी०

उपखण्ड स्तरीय द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक में अध्यक्षीय प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जाबरी से जयकण्ठी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.501 हे० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अंतर्गत वनाधिकार का कोई मामला संलग्न नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वेक्षण से पारित प्रस्ताव के आधार पर आवेदनित उपखण्ड स्तरीय प्रस्ताव की अनुमति की गई है।

संगठित उप प्रमाणिक/सहायक जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के अंतर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा आपत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रस्तावित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्तमुनि परिक्षेत्र के अंतर्गत जाबरी से जयकण्ठी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.501 हे० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को अनुमति में सहायक जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तावित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

हर्ष कर्षन शर्मा
सहायक सभाज कल्याण अधिकारी
रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- रुद्रप्रयाग/जम्मीठ
जनपद- रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- रुद्रप्रयाग



परियोजना का नाम :-	जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
--------------------	---

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ककोला
तहसील ऊखीमठ, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे० सिविल सोयम भूमि, 1.456 हे० वन पंचायत भूमि, तथा मलवा निस्तारण हेतु 0.045 हे० नाप एवं वन भूमि अर्थात् कुल 1.501 हे० वन भूमि का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जयकण्डी द्वारा दिनांक.20-02-2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ककोला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित



ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रपत्र 30.5

दिनांक 22/12/19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ता.को.ता.

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगदीश प्रसाद शर्मा	जगदीश प्रसाद
2	जीत सिंह	जीत सिंह
3	कुलदीप सिंह नेगी	कुलदीप सिंह
4	दामोदर शर्मा	दामोदर शर्मा
5	चेतराम शर्मा	चेतराम शर्मा
6	बुधिराम शर्मा	बुधिराम
7	विष्णु प्रसाद शर्मा	विष्णु प्रसाद
8	शशिराम शर्मा	शशिराम
9	रामशरीर शर्मा	राम शरीर शर्मा
10	विमोद प्रसाद शर्मा	विमोद शर्मा
11	जीवाराम शर्मा	जीवाराम
12	मनोज मशवाल	मनोज मशवाल
13	मनीष शर्मा	मनीष
14	लक्ष्मी शर्मा	लक्ष्मी
15	श्रीमती गंगू देवी जी	श्रीमती
16	श्रीमती सुधा देवी जी	श्रीमती
17	गायत्री देवी जी	गायत्री
18	सुधा देवी जी	सुधा

परियोजना का नाम :-	जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
--------------------	---

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम कण्डारा (शेरा)
तहसील ऊखीमठ, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे० सिविल सोयम भूमि, 1.456 हे० वन पंचायत भूमि, तथा मलवा निस्तारण हेतु 0.045 हे० नाप एवं वन भूमि अर्थात् कुल 1.501 हे० वन भूमि का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जयकण्डी द्वारा दिनांक.20-02-2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम शेरा तोक ग्राम कण्डारा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित


 ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

पृष्ठ 305

दिनांक 22/02/20 को साम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

साम पंचायत और तैयारी, काठजारा

क्रमांक	साम समा में उपस्थित वरिष्ठ सामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नरेश लाल	नरेश लाल
2	श्रीराम लाल	श्रीराम
3	जगदीश लाल	जगदीश लाल
4	सोनी लाल	सोनी
5	नरवान लाल	
6	राजवत लाल	राजवत
7	कृष्णपति लाल	Krishna pati
8	कमल लाल	Kamal
9	विठाल देवी	
10	हरीश	हरीश लाल
11	निवेक लाल	Vivek
12	सोहन लाल	सोहन लाल
13	जीत लाल	जीत लाल
14	राजू देवी	
15		
16		
17		
18		

प्रपत्र 30.5

दिनांक 22/12/2020 ग्राम समा की समन्वय बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जोगा तोक, तहसील

क्रमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गिरधारी लाल	
2	रजक	
3	योगेश्वर लाल	
4	गुड्डू लाल	
5	गुमान लाल	
6	रमेश लाल	
7	गुड्डी देवी	
8	बेरा लाल	
9	कात लाल	
10	जसपाल लाल	
11	हुषाल लाल	
12	सुनीता देवी	
13	लीला देवी	
14	माल बन्ध	
15	मनुशुया लाल	
16	विजय लाल	
17	दिगपाल लाल	
18	कुंवा लाल	

परियोजना का नाम	:- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	--

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
 ग्राम पंचायत का नाम जयकण्डी (अजयपुर)
 तहसील ऊखीमठ, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे० सिविल सोयम भूमि, 1.456 हे० वन पंचायत भूमि, तथा मलवा निस्तारण हेतु 0.045 हे० नाप एवं वन भूमि अर्थात् कुल 1.501 हे० वन भूमि का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

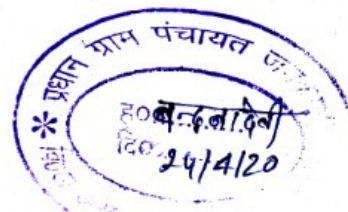
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जयकण्डी द्वारा दिनांक.20-02-2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जयकण्डी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु बिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

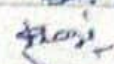
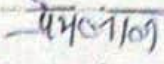
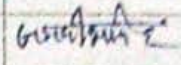
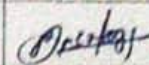
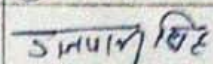
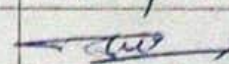
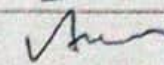
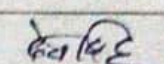
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



प्रपत्र 30.5

दिनांक 28/2/2020 ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत अजयपुर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुजगोदा सिंह ड/0 राजपाल सिंह	
2	राजका सिंह ड/0 देव सिंह	
3	प्रम लाल ड/0 फिलमल लाल	
4	जगदीश सिंह ड/0 रामा सिंह	
5	जगद सिंह ड/0	
6	लीरेंद्र सिंह ड/0 सुनी सिंह	
7	गजपाल सिंह ड/0 अमर सिंह	
8	लुका सिंह ड/0 सुन सिंह	
9	विजयपाल सिंह ड/0 कन सिंह	
10	देव सिंह ड/0 तुला सिंह	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		